मूल हिंदी

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1653
04 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

निधियों का समान वितरण

1653 # श्रीमती महुआ माजीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड के छोटे शहरों और जनजातीय क्षेत्रों में अमृत निधि का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) वर्ष 2023-24 में अमृत परियोजनाओं में, लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन (जीईएसआई) दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) झारखंड के 7 शहरों सहित देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किये गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। अमृत के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निधि का आवंटन 2011 की जनगणना और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों में सांविधिक कस्बों की संख्या के अनुसार प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की शहरी जनसंख्या को समान महत्व (50:50) देते हुए एक समतामूलक सूत्र का उपयोग करके मिशन की शुरुआत में ही किया गया था। अमृत के अंतर्गत झारखंड राज्य को परियोजनाओं के लिए 566.17 करोड़ रु. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता (सीए) में से 551.69 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं।

अमृत 2.0 योजना झारखंड के 50 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों सहित देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में 01 अक्टूबर 2021 को शुरू की गई थी। अमृत 2.0 के तहत, इस मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं का चयन, प्राथमिकता, डिजाइन, कार्यान्वयन और निगरानी करने का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिकार दिया गया है।

(ख): अमृत/अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाएँ शहरी क्षेत्रों जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, पार्क और हरित क्षेत्र आदि में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हैं, जिससे क्षेत्र के सभी लोगों को लाभ मिलेगा। अमृत 2.0 दिशानिर्देश जेंडर समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देते हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत अमृत मित्र नामक एक पहल शुरू की गई है जिसका उद्देश्य जल गुणवत्ता परीक्षण, जल इन्फ्रास्ट्रक्चर संचालन और अन्य जल संबंधी परियोजनाओं, जिनमें पार्कों और हरित क्षेत्रों का रखरखाव शामिल है आदि में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सक्रिय रूप से शामिल करना है।
